न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 86/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
ढलीया पुत्र चिमना जाति राईका निवासी भांगेसर, तहसील पाली		1 जावताराम पुत्र पोकरराम जाति देवासी निवासी भांगेसर 2 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री भैरूसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मोहनलाल वर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8/2/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2012 बअनवान जावताराम बनाम ढलीया व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बतौर वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भ्झूमि खसरा नम्बर 322/6 रकबा 15 बीघा की आई हुई स्थित है, जिसके समीप ही प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलाण्ट) की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 322/5 रकबा 15 बीघा की आई हुई स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने खेत की माठ को आगे बढा कर वादी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। उक्त भूमि का सीमांकन करवाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पत्नि ने मौके पर झगडा किया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज करवाई गई, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी कथन अंकित किए कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः सीमांकन रिपोर्ट अनुसार माठे कायम करने एवं वादी की भूमि पर प्रतिवादी को दखल अन्दाजी से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा वादी के वाद का प्रतिकार किया, जिसमें यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने खातेदारी भूमि पर ही काबिज काश्त है। जिसकी तरमीम हो चुकी है। जिस भूमि को वादी अपनी खातेदारी होना बताते है, वह अन्य सह खातेदारान की सह खातेदारी भूमि है, जिसमें से मात्र वादी ने ही दावा किया, अन्य किसी को कोई आपत्ति नही हुई एवं न ही उन्हे पक्षकार संयोजित किया गया। जो सीमांकन किया गया, वह अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में किया गया, इसकी जानकारी अपीलाण्ट को तब हुई, जब उन्होने माठ हटाने की धमकि दी। जो भी सीमांकन किया जाता है वह मुस्तकिल बिन्दु से किया जाता है, न की माठ से। पटवारी हल्का द्वारा माठों के आधार पर सीमांकन किया जाकर दो जरीब भूमि अपीलाण्ट के खातेदारी भूमि में समाहित होना बताया। जबकि वास्तविक रूप से यदि जांच की जाती है, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चारो ओर की खातेदारी भूमियों का सीमांकन किया जाना चाहिये था, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती, मात्र अपीलाण्ट की भूमि में कयासी आधारों पर भूमि समाहित होने का कथन किया, जो विधि विरूद्ध है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प भांगेसर में प्रकरण का निस्तारण कर दिया, जबकि उस समय प्रकरण वादी की शहादत में नियत था। कैम्प की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एकतरफा कार्यवाही कर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। यदि अपीलाण्ट की भूमि में रेस्पोडेन्ट की भूमि समाहित होती, तो वे कब्जे का दावा करें। कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये, उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया तथा न ही अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध पाया जाता है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार पाली के आदेश की पालना में गठित टीम द्वारा सीमांकन किया गया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से दो जरीब भूमि अपीलाण्ट की भूमि में समाहित होना बताया। रेस्पोडेन्ट माठ कायम करने लगे, तो अपीलाण्ट ने विवाद किया। इस पर अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प भांगेसर में निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट का मात्र यह कथन रहा है कि उन्हे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प की जानकारी अपीलाण्ट के अधिवक्ता को भी दी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

गई थी तथा कैम्प में पक्षकारान को उपस्थित होने हेतु नोटिस भी जारी किए गए, किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं समस्त बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रवली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा भांगेसर के खसरा नम्बर 322/6 रकबा 15 एवं अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 322/5 रकबा 15 बीघा के मध्य स्थित माठ को अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि की ओर बढा कर कब्जा करने के प्रयास करने के कारण अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट को जरिये सम्मन तलब किया एवं अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने पर तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया, जिसकी सूचना उभयपक्ष को जरिये नोटिस दिनांक 19.05.2015 को जारी की गईं अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किया गया, वह नोटिस अपीलाण्ट की पुत्री से तामील करवाया गया, जो सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी पक्ष के गवाहों के बयान कलमबद्ध करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस समय प्रकरण कोर्ट कैम्प भांगेसर में नियत किया गया, उस समय प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से कोई गवाह की साक्ष्य कलमबद्ध नहीं हुई थी। आदेशिका दिनांक 05.05.2015 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उस दिनांक को वादी को शहादत पेश करने हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28.05.2015 को प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इस आदेशिका के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त दिनांक को पक्षकारान् के अधिवक्ता को प्रकरण कैम्प में रखे जाने से अवगत करवाया गया हो तथा न ही प्रकरण को कैम्प में पेश करने के आदेश जारी किए गए। नियत तारीख पेशी पर प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत कर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर, विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना दर्शाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो समर्थन योग्य नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही गुणावगुण पर किया जाना चाहिए, मात्र एक पेशी पर अनुपस्थित रहना एकपक्षीय कार्यवाही का उचित आधार नहीं है। जहां यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाए कि पक्षकार बार–बार न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है, जो एकपक्षीय कार्यबाही करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया जाना चाहिऐ, किन्तु हस्तगत प्रकरण में यह स्थिति प्रकट नहीं हुई है। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 28.05.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

को अपीलाण्ट अनुपस्थित होने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी पक्ष के बयानों को कलमबद्ध करते हुए तनकीयात विनिश्चित की जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2012 बअनवान जावताराम बनाम ढलीया व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली